जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

लापरवाही बरतने पर दो अभियन्ता निलम्बित

जयपुर, 03 मार्च। जयपुर विद्युत वितरण निगम ने आज आदेश जारी कर निगम में कार्यरत एक सहायक अभियन्ता एवं एक कनिष्ठ अभियन्ता को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री अनुराग भारद्वाज ने बताया कि झालावाड़ उपखण्ड क्षेत्र में 28 फरवरी, 2015 को बिरियाखेड़ी ग्राम में आहू नदी के पास अवैध रुप से निगम का ट्रांसफार्मर लगाकर खनन कार्य में बिजली चोरी करते हुए सतर्कता दल ने मामला पकड़ा और मौके पर ही ट्रांसफार्मर एवं केबल आदि को जब्त किया गया।

उन्होंने बताया कि निगम का ट्रांसफार्मर विद्युत चोरी के प्रयोग में लाया जा रहा था, जिसकी जांच की जा रही है तथा इसमें प्रथम दृष्टा सहायक अभियन्ता (पवस) झालावाड़ के पद पर कार्यरत श्री नुसरत इकबाल एवं कनिष्ठ अभियन्ता (पवस) भीलवाड़ी श्री मनीष बबेरवाल की लापरवाही प्रतीत होती है। इन दोनो अभियन्ताओं को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है तथा निलम्बन काल में इन दोनो का मुख्यालय संभागीय मुख्य अभियन्ता (पवस– भरतपुर जोन), भरतपुर के कार्यालय में रहेगा।

बिजली चोरी के मामले में दोषी से 9 लाख 70 हजार 200 वसूल किये गये है।

––––

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 197/2015